

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्री सत्यनारायण आरएस

सं० - 471 / 2025

अनदान :-

1. राहुल पुत्र मांगीलाल आयु 17 वर्ष नाबालिग जयिसे कुदरती दली माता संतोष पतनी मांगीलाल जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डकरीकला ता० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. संतोष पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डकरीकला ता० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी डीबीएल डकरीकला ता० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. हर्बल पुत्री मांगीलाल जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डकरीकला ता० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिकृता वादी रायसिंह भाकर व आरएस भादू अधिकृता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि करनं० 12 डीबीएल के खाता सं० 78/56 की कुल 6.0720 है। मैं प्रतिवादी सं० 1 के साथ-साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है -


वादी सं० 1 राहुल को प्राप्त आराजी - करनं० 12 डीबीएल के जमाकन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 78/56 में प०न० 191 / 357 मु० 4 किलानं० 15,18 / 508 है०, प०न० 192/357 मु० 5 किलानं० 11,12,19,20 / 1,012 है०, प०न० 193/357 मु० 6 किलानं० 1 ता 2 कुल 2.024 है०।

ख. वादीया सं० 1 संतोष को प्राप्त आराजी :- करनं० 12 डीबीएल के जमाकन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 78/56 में प०न० 193 / 357 मु० 6 किलानं० 3 ता 10 कुल 2.024 है०।

ग. प्रतिवादी सं० 1 मांगीलाल को प्राप्त आराजी :- करनं० 12 डीबीएल के जमाकन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 78/56 में प०न० 193 / 357 मु० 6 किलानं० 11 ता 15 / 1,265 है० व प०न० 194 / 357 मु० 7 किलानं० 1,10,11 / 759 है० कुल 2.024 है० इसी अनुसार मांगीलाल का हिस्सा कम किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता विभाजन अलग से कायम किया जावे। यदि कृषि भूमि पर बैक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर रिकॉर्ड दुबस्ता किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्या डिक्री दिनांक 21/11/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।




 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 टिब्बी जिला हनुमानगढ़
 R.A.S.